

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी / 24 / ३२२।

दिनांक: २१/८/२५

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपष्टित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत सुलताना, जिला झुंझनूँ क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	झुंझनूँ	सुलताना	ग्राम पंचायत सुलताना के ग्राम सुलताना एवं राजस्व ग्राम किशनपुरा.(कुल जनसंख्या - 16,623) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2024–25 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुलताना एवं राजस्व ग्राम किशनपुरा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुलताना के निर्वाचित संरपच/उपसंरपच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदरस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (सुरेश कुमार ओला)
 निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प 10(ना पा) (गठन) ()डीएलबी / 24 / ३२२२ - ३२८० दिनांक: २५/१/२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी रायिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजरथान जयपुर।
02. निजी रायिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी रायिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव / उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी रायिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव / आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच / सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर / सीकर / जिला कलेक्टर झुंझनूं राजरथान।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर / पी.आर.ओ. निदेशालय।
11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार / समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच / उपसरपंच / सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत सुलताना जिला झुंझनूं।
16. सुरक्षित पत्रावली।


(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी